

**प्रशिक्षण कार्यशाला**

निर्देशानुसार डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत राज्य की अधिसूचित ऑनलाईन तहसीलों में नामन्तरकरण के आवेदन तथा ई-धरती सॉफ्टवेयर एवं भू- नक्शा सॉफ्टवेयर पर व्यवहारिक रूप से कार्य किए जाने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 07/08/19 के द्वारा दिनांक 19.08.19 व 20.08.19 परिशिष्ट-1 तथा 21.08.19 व 22.08.19 परिशिष्ट-2 अनुसार प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नहरु मार्ग जयपुर के सभागार में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें चाय एवं मध्याह्न भोजन का भुगतान RBAAS के माध्यम से किया जावेगा।

*OK*  
13/8/19  
(महेन्द्र कुमार पारख)  
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,

*OK* राजस्थान, जयपुर  
दिनांक- 13/8/19

क्रमांक/फा/समसंख्याक/ 456-468

प्रतिनिधि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

- 1- अति. निदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नहरु मार्ग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था के साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के भोजन, चाय की व्यवस्था करवाने का श्रम करावें। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के चाय एवं भोजन के बिलों का भुगतान के लिए बिल CEO RBAAS जयपुर के नाम भिजवाने का श्रम करावें।
- 2- निजी सचिव, भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
- 4- निजी सहायक, अति. भूप्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 5- तकनीकी निदेशक, एनआईसी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री दिनेश खण्डेलवाल एवं श्रीराम शर्मा को ई-धरती सॉफ्टवेयर एवं भू- नक्शा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हेतु समय पर उपस्थिति होने बाबत पाबंद करावें।
- 6- संबंधित सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यावास।
- 7- प्रभारी, भू प्रबन्ध प्रशिक्षण, संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावें।
- 8- श्री राहुल मीणा सूचना सहायक, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावें।
- 9- श्री महेन्द्र सैनी, गिरदावर श्री शिवप्रकाश सोनी, गिरदावर, सुश्री रेखा सिंह, पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण शिविर में नियत समय पर उपस्थित हों।
- 10- प्रभारी आरबास जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि भोजन एवं चाय का भुगतान शीघ्र किया जावें।
- 11- श्री सत्यनाराण अग्रवाल च.शे.कर्म. को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण में जलपान की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करावें।

*OK*  
13/8/19  
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर